**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**

**F.S.S.Act Case No. 95/2024**

| तारीख हुक्म | |
|---|---|
| 07.03.2025 | पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या– 1 (चौधरी चिराग पुत्र श्री पथु भाई, विक्रेता, मैसर्स गायत्री डेयरी, H-1 26/27 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या– 2 (राजेश नरसिंह भाई पटेल, प्रोपराईटर, मैसर्स गायत्री डेयरी, H-1 26/27 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही) के अधिवक्ता उपस्थित। |

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.02.2024 को मैसर्स गायत्री डेयरी, H-1 26/27 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता चौधरी चिराग पुत्र पथु भाई से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ भैस का दूध का नमूना संख्या S-2297, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट क्रमांक:**L.S./169/Act/2024/215** दिनांक 19.2.2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 05.03.2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रतिवादीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि दिनांक 04.4.2024 को समय 11–30 ए.एम. पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स गायत्री डेयरी, सरुपगंज पर पॅहुचने व परिचय लेने का कथन अस्वीकार है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी चौधरी चिराग व गवाह की उपस्थित में निरीक्षण करने पर स्टील के टेंकर में भैस का दूध करीब 4000 लीटर होने व आम जन के बिक्री हेतु बताने का कथन भी गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित प्रक्रिया अपनाये जाने का कथन भी गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भैस के दूध का नमूना लेने की प्रक्रिया प्रतिवादी चौधरी चिराग के समक्ष निष्पादित नही की गई है एवं न ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नमूना लिया गया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही सद्भावी तौर पर नही की गई तथा गलत प्रक्रिया का उपयोग कर प्रतिवादीगण को क्षति कारित करने के आशय से

......लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

की गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी चिराग चौधरी के खाली प्रपत्रों पर हस्ताक्षर अवश्य करवाये थे जिसकी प्रतिवादी संख्या–2 को जानकारी नही है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द गलत व विधि विरुद्ध बनाई गई है। न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कार्यवाही कर सेम्पल का जांच हेतु भिजवाने का कथन भी गलत है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया अनुसार नमूना लेने की कार्यवाही मौके पर सम्पादित नही की है एवं सेम्पल को टेम्पर विथ करके जांच हेतु भेजा है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भैंस के दूध को सुरक्षित रखने हेतु कोई पदार्थ नही डाला है, जिससे सेम्पल खराब होने की पूरी संभावना है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ भैंस के दूध की रेफरल लेब से जांच कराने के संबंध में प्रतिवादीगण को कोई सूचना नही दी है तथा न ही खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादीगण को भिजवाई गई है, इस कारण से प्रतिवादीगण, उक्त भैंस के दूध के नमूने के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहा है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46 की उपधारा 4 का उल्लंघन है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कथनों को सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।

हमनें प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 04.02.2024 को समय 11–30 ए.एम. पर मैसर्स गायत्री डेयरी, H-1 26/27 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी चौधरी चिराग पुत्र पथु भाई, जाति– चौधरी उपस्थित मिले। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स गायत्री डेयरी, H-126/27 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स गायत्री डेयरी में एक टेंकर में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ भैंस का दूध लगभग 4000 लीटर में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता चौधरी चिराग पुत्र पथु भाई को गवाह श्री कमलेश भाई, हाल– गायत्री डेयरी के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स गायत्री दुकान में टेंकर में रखे हुए खाद्य पदार्थ भैंस का दूध को हिलामिलाकर उसमें से 2 लीटर भैंस के दूध को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 100/– (अक्षरे रुपये एक सौ मात्र)

......लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

# हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

F.S.S.Act Case No. 95/2024

तारिख हुक्म

प्रतिवादी चौधरी चिराग को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा भैंस के दूध को हिला मिलाकर एकरुप करके इस खरीदशुदा भैंस के दूध को प्रतिवादी विक्रेता चौधरी चिराग व गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी एवं खाली शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्यके शीशी में फार्मेलीन की 40–40 बूंदे डालकर प्रत्येक नमूना शीशी को ढ़क्कन से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2297, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम भैंस का दूध आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता चौधरी चिराग पुत्र पथु भाई एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा भैंस के दूध की चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना शीशीयों/भागों पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2297 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता चौधरी चिराग पुत्र पथु भाई व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता चौधरी चिराग पुत्र पथु भाई व गवाह तथा श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 07.02.2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 04.2.2024 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स गायत्री डेयरी, H-1 26/27 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी

........लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>F.S.S.Act Case No. 95/2024 |
|---|---|

विक्रेता चौधरी चिराग पुत्र पथु भाई से खाद्य पदार्थ भैंस के दूध को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ भैंस के दूध के नमूना संख्या S-2297 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक **L.S./169/Act/2024/215** दिनांक 19.2.2024 में खाद्य पदार्थ भैंस के दूध का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स गायत्री डेयरी, H-1 26/27 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही के प्रोपराईटर प्रतिवादी संख्या 2 (राजेश नरसिंह भाई पटेल) है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 2 (राजेश नरसिंह भाई पटेल) की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स गायत्री डेयरी, H-1 26/27 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता चौधरी चिराग पुत्र पथु भाई द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ भैंस का दूध (नमूना संख्या S-2297) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

**आदेश**

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ भैंस के दूध (नमूना संख्या S-2297) के विक्रय हेतु प्रतिवादी राजेश नरसिंह भाई पटेल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स गायत्री डेयरी, H-1 26/27 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी राजेश नरसिंह भाई को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 09.4.2025 को पेश हो।

**(डॉ. दिनेश राय सापेला)**

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)